भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1318

उत्तर देने की तारीख- 28/07/2025

सोमवार, 6 श्रावण, 1947 (शक)

कौशल भारत मिशन

1318. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौशल भारत मिशन के अंतर्गत मिशन के शुरुआत से अब तक प्रशिक्षित व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है;
(ख) क्या प्रशिक्षित व्यक्तियों की अपेक्षित संख्या की गणना राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति (एनपीएसडीई)2015 द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या एनपीएसडीई के अनुसार 300 मिलियन श्रमिकों द्वारा अर्जित कौशल को असंगठित क्षेत्र के लिए पूर्व अधिगम प्रमाणन की मान्यता (आरपीएल)प्रदान की गई है और यदि हाँ,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) सरकार द्वारा उक्त कौशल को प्रमाणित और मान्यता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति (एनपीएसडीई), 2015 का विजन उच्च मानकों के साथ गति से बड़े पैमाने पर कौशल प्रदान करके सशक्तिकरण का एक इको-सिस्टम बनाना और नवाचार आधारित उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना है जो धन और रोजगार उत्पन्न कर सके ताकि देश के सभी नागरिकों के लिए स्थायी आजीविका सुनिश्चित हो सके। एनपीएसडीई **2015** के विजन को साकार करने के लिए हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से**,** राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण **(**एनएसएस**)** के **66**वें और **68**वें दौर और जनगणना **2011** के आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय नीति दस्तावेज में कौशलीकरण आवश्यकताओं का विश्लेषण प्रदान किया गया है। इस विश्लेषण के अनुसार**,** मौजूदा कृषि और

गैर-कृषि क्षेत्र के 298.25 मिलियन कार्यबल को कुशल बनाया जाना था, पुनर्कुशल करना था और उनका कौशलोन्नयन करना था।

भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनःकौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौशल भारत मिशन (सिम) का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग-संबंधित कौशल से सुसज्जित और भविष्य के लिए तैयार करना है। कौशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत योजनाएँ माँग-आधारित हैं और भागीदारी स्वैच्छिक है। इन योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित/अभिविन्यस्त उम्मीदवारों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है।

योजना	**प्रशिक्षित/ अभिविन्यस्त उम्मीदवार**
पीएमकेवीवाई (2015-16 से 2024-25 तक)	1,62,98,252
जेएसएस योजना (2018-19 से 2024-25 तक)	30,93,884
एनएपीएस (2018-19 से 2024-25 तक)	37,99,894
सीटीएस (आईटीआई) (सत्र 2018 से 2024)	92,66,381

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत लाभान्वित 1,62,98,252 व्यक्तियों में से 70.42 लाख को योजना के पूर्व अधिगम मान्यता (आरपीएल) घटक के अंतर्गत उन्मुखीकरण और प्रमाणन प्रदान किया गया।

(घ) तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु नियम और मानक स्थापित करने के लिए एक व्यापक नियामक के रूप में, एमएसडीई द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना की गई है। एनसीवीईटी को नियामक मानदंड निर्धारित करके, मानक विकसित करके और प्रमुख कौशलीकरण संस्थाओं को मान्यता देकर व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में गुणवत्ता और मानकीकरण सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है। एनसीवीईटी अवार्डिंग बौडीज (एबी), मूल्यांकन एजेंसियों (एए) और कौशल सूचना प्रदाताओं को मान्यता प्रदान करता है और प्रमाणन एवं मूल्यांकन प्रक्रियाओं में गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करने के लिए उनके कामकाज की निगरानी करता है।

एनएसक्यूएफ-संरेखित योग्यताओं पर एनसीवीईटी-मान्यता प्राप्त अवार्डिंग बौडीज (एबी) के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी शिक्षार्थियों को संबंधित एबी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त होते हैं, जिससे उनके कौशल की राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीय और उद्योग-प्रासंगिक मान्यता सुनिश्चित होती है। अनौपचारिक रूप से अर्जित कौशलों की मान्यता और प्रमाणन सुनिश्चित करने के लिए, एनसीवीईटी ने पूर्व-अधिगम मान्यता (आरपीएल) प्रशिक्षण और प्रमाणन को भी संस्थागत रूप दिया है।

*****